प्रेस विज्ञप्ति

05-12-2025

रिलायंस अनिल अंबानी समूह रुपये :10,117 करोड़ तक पहुंची समेकित समूह कुर्की।

प्रवर्तन निदेशालय)ईडी) ने रिलायंस होम फ़ाइनेंस लिमिटेड रिलायंस कमर्शियल फ़ाइनेंस/ यस बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में रिलायंस अनिल अंबानी समूह की/लिमिटेड1,120 करोड़ रुपये मूल्य की 18 से अधिक संपत्तियाँ, सावधि जमा, बैंक शेषराशि तथा कोट नहीं किए गए विनिधान में शेयरधारण को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

अनंतिम रूप से कुर्क संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 7 संपत्तियाँ, रिलायंस पावर लिमिटेड की 2 संपत्तियाँ, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की 9 संपत्तियाँ, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एममैनेजमेंट एस फ़ी/ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एमएस आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड/, एमएस गेमसा / इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर सावधि जमा तथा रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट एस फ़ी म/प्राइवेट लिमिटेड और एमैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोट नहीं किए गए विनिधान में किए गए आगे के निवेश शामिल हैं।

यह उल्लेखनीय है कि ईडी ने इससे पूर्व रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड)आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फ़ाइनेंस लिमिटेड तथा रिलायंस होम फ़ाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 8,997 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियाँ कुर्क की थीं। **अतः समेकित समूह कुर्की 10,117 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है।**

ईडी ने यह भी पता लगाया है कि रिलायंस अनिल अंबानी समूह की विभिन्न कंपनियों रिलायंस — कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस होम फ़ाइनेंस लिमिटेड)आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फ़ाइनेंस लिमिटेड)आरसीएफएल), रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)आरआईएल) और रिलायंस पावर लिमिटेड)आरएचएफएल) — द्वारा सार्वजनिक धन का धोखाधड़ीपूर्ण दुरुपयोग किया गया।

वर्ष 2017–2019 के दौरान, यस बैंक ने आरएचएफएल के साधनों (इंस्ट्रूमेंट) में 2,965 करोड़ रुपये तथा आरसीएफएल के साधनों (इंस्ट्रूमेंट) में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया। दिसंबर, 2019 तक ये निवेश गैर निष्पादित-निवेश बन गए। बकाया राशि आरएचएफएल के लिए 1,353.50 करोड़ रुपये तथा आरसीएफएल के लिए 1,984 करोड़ रुपये थी। आरएचएफएल तथा आरसीएफएल के मामलों में ईडी की जाँच से यह उजागर हुआ कि आरएचएफएल और आरसीएफएल को 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक धनराशि प्राप्त हुई थी। यस बैंक द्वारा रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में निवेश किए जाने से पूर्व, यस बैंक को पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फ़ंड

से विशाल धनराशि प्राप्त हुई थी। सेबी विनियमों के अनुसार, रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फ़ंड हितों के टकराव के कारण सीधे अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में निवेशधनांतरित नहीं कर / सकता था। अतः म्यूचुअल फ़ंड योजनाओं में सार्वजनिक धन को परोक्ष रूप सेभेजा गया। यह मार्ग यस बैंक के एक्सपोज़र के माध्यम से संचालित हुआ। इस प्रकार सार्वजनिक धन चक्रीय मार्ग से अनिल अंबानी समूह की कंपनियों तक पहुँचा।

ईडी ने सीबीआई द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर भी जाँच प्रारंभ की है। आरकॉम और इसकी समूह कंपनियों ने 2010–2012 की अवधि से घरेलू तथा विदेशी ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त किए, जिनमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। समूह की ऋण खातों को 9 बैंकों ने धोखाधड़ी घोषित कर दिया है।

ईडी की जाँच से यह सामने आया कि एक इकाई द्वारा एक बैंक से लिए गए ऋण को अन्य इकाइयों द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान, संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरण तथा म्यूचुअल फ़ंड में निवेश के लिए उपयोग किया गया, जो ऋण स्वीकृति पत्र की शर्तों और नियमों के प्रतिकूल था। विशेष रूप से, आरकॉम और इसकी समूह कंपनियों द्वारा 13,600 करोड़ रुपये से अधिक राशि ऋणों के नियमितीकरण)एवरग्रीनिंग(के लिए विपथित किया गया; 12,600 करोड़ रुपये से अधिक राशि संबंधित पक्षों को स्थानांतरित की गई तथा 1,800 करोड़ रुपये से अधिक राशि एफडीएमएफ आदि में निवेश की गई/, जिसे बड़े पैमाने पर समूह इकाइयों को पुनः स्थानांतरित करने हेतु भुनाया गया। बिल डिस्काउंटिंग के दुरुपयोग के माध्यम से संबंधित पक्षों को धन पहुँचाने का बड़ा दुरुपयोग भी ईडी द्वारा पता लगाया गया है। कुछ ऋणों को विदेशी बाह्य विप्रेषण के माध्यम से भारत के बाहर भेजा गया।

ईडी वित्तीय अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है तथा अपराध की आय को उसके वास्तविक दावाकर्त्ताओं को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।-

आगे की जाँच जारी है।

क्या कुर्क किए गए:

रिलायंस सेंटर, बल्लार्ड एस्टेट:

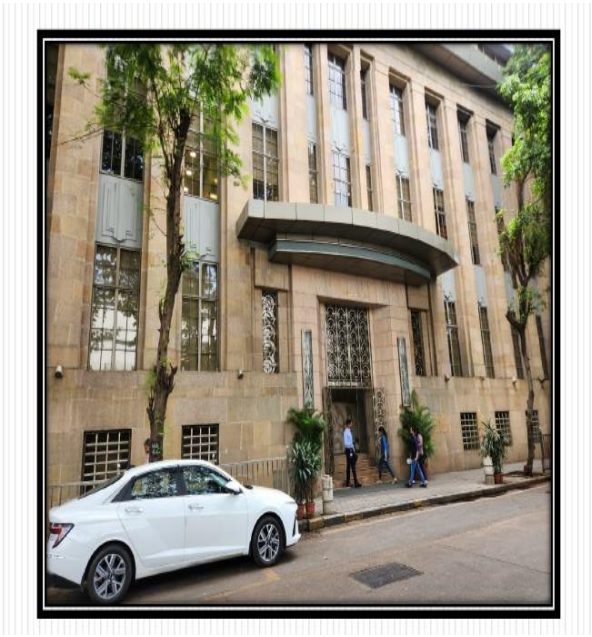

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का वाणिज्यिक कार्यालय भवन, चाकला इंडस्ट्रियल एरिया)एमआईडीसी), अंधेरी ईस्ट, मुंबई –400 093।

सांताक्रूज़ में स्थित रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की आवासीय संपत्तियाँ

सांताक्रूज़ में स्थित रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अतिथि गृह

चेन्नई में स्थित रिलायंस वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले 231 आवासीय भूखण्ड

पनवेल में स्थित रिलायंस वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले 7 आवासीय फ्लैट